कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 113/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 25.03.2026

प्रेस – नोट

थाना – निजामाबाद, आजमगढ़

कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नाम व पहचान बदलकर विदेशी नागरिकता लेने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

OCI धारक होते हुए भारतीय मतदाता बनकर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का मामला उजागर

विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में भी भारतीय मतदाता के रूप में दर्ज मिला नाम

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मलेशिया की नागरिकता व पासपोर्ट प्राप्त करने का आरोप

निजामाबाद पुलिस की कार्रवाई, विभिन्न धाराओं में अभियोग पंजीकृत

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा ***कूटरचित दस्तावेज तैयार कर नाम व पहचान बदलकर विदेशी नागरिकता लेने वाला अभियुक्त गिरफ्तार*** किया गया।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

दिनांक ***24.03.2026*** को उ0नि0 चित्रांशु मिश्रा थाना निजामाबाद द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि ***मो0 कुद्दूस उर्फ कुद्दूस पुत्र अली रजा निवासी ग्राम सुराई थाना निजामाबाद,*** जो वर्तमान में मलेशिया से आकर अपने गांव में रह रहा है, द्वारा ***कूटरचित दस्तावेज*** तैयार कर अपना व अपने पिता का नाम बदलकर ***"मोहम्मद कुद्दूस बिन रज्जाग शाह"*** के नाम से ***मलेशिया की नागरिकता*** प्राप्त की गई है तथा मलेशिया का पासपोर्ट भी बनवाया गया है।

जांच में यह भी पाया गया कि अभियुक्त द्वारा ***OCI कार्ड*** प्राप्त करने के बावजूद, जो कि ***भारतीय चुनाव में मतदान हेतु*** अयोग्य होता है, भारतीय ***मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराकर*** विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। ***विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)*** अभियान के अंतर्गत भी अभियुक्त द्वारा भारतीय मतदाता के रूप में फार्म-07 भरा गया है। उक्त संबंध में थाना निजामाबाद पर ***मु0अ0सं0 71/26 धारा 318(4), 319, 335, 336(3), 338, 340 बीएनएस*** के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 25.03.2026 को उ0नि0 राजनारायण पाण्डेय, चौकी प्रभारी रशीदगंज द्वारा विवेचना के क्रम में अभियुक्त को पूर्व सूचना के आधार पर थाना परिसर में उपस्थित होने पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अभियुक्त आरोपों के संबंध में संतोषजनक उत्तर व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका, जिस पर आरोप प्रमाणित पाए जाने पर विधिक कार्यवाही करते हुए समय 10:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पूर्ण पालन किया गया तथा अभियुक्त का नियमानुसार चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 71/26 धारा 318(4), 319, 335, 336(3), 338, 340 बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मो0 कुद्दूस उर्फ कुद्दूस पुत्र अली रजा निवासी ग्राम सुराई थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ (वर्तमान पता-मलेशिया)

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राजनारायण पाण्डेय मय हमराह, थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।
2. चौकी प्रभारी रसीदगंज मय हमराह, थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

प्रेस – नोट

थाना – साइबर क्राइम, आज़मगढ़

इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर लाखों रूपये की ठगी करने वाले 02 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार

फर्जी आईडी बनाकर क्यूआर कोड के जरिए एडवांस भुगतान लेकर करते थे धोखाधड़ी

विभिन्न राज्यों से 27 NCRP शिकायतें, 13 बैंक खातों का उपयोग कर रहे थे ठग

मोबाइल, एटीएम कार्ड, सिम व डमी पार्सल सहित भारी मात्रा में सामग्री बरामद

साइबर क्राइम थाना पुलिस की कार्रवाई, बीएनएस व आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन व अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विवेक त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती आस्था जायसवाल के मार्गदर्शन मे थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ पुलिस द्वारा **इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी करने वाले 02 शातिर साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया।**

घटना व गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 09.03.2026 को **अजमेरी समिया पुत्री सादिरबाई निवासी वटवा, अहमदाबाद सिटी, गुजरात** द्वारा **एनसीआरपी पोर्टल** पर **ऑनलाइन शॉपिंग** से संबंधित ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई। दिनांक 24.03.2026 को **प्रतिबिम्ब पोर्टल** पर प्राप्त शिकायत की जांच के दौरान **साइबर क्राइम थाना पुलिस टीम** ने जनपद आजमगढ़ के **थाना कोतवाली क्षेत्र के कोलबाजबहादुर** में दबिश देकर मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों—**अवन राजभर (22 वर्ष) व प्रियांशू यादव (19 वर्ष)**—को गिरफ्तार किया। पूछताछ व बरामद मोबाइल फोन के विश्लेषण में पता चला कि अभियुक्त ***"Ganga.Hills, Ganga_hills, Ganga cloth, Velside.clothing, Velside_clothing"*** नाम से **इंस्टाग्राम आईडी** बनाकर ग्राहकों को **ऑनलाइन प्रोडक्ट भेजने** का झांसा देकर क्यूआर कोड के माध्यम से ठगी करते थे। उनके मोबाइल से ग्राहकों के साथ चैट, प्रोडक्ट के फोटो/वीडियो सहित महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हुए ।

अभियुक्तों के कब्जे से **दो मोबाइल फोन व नगद धनराशि** बरामद हुई तथा इनके **बैंक खातों से जुड़े 13 खातों पर विभिन्न राज्यों से कुल 27 NCRP शिकायतें** दर्ज पाई गईं। इस संबंध में थाना पर **मु0अ0सं 16/26 धारा 318(4), 319(2), 317(2) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट** के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध का तरीका (Modus Operandi)-

अभियुक्तों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम **पर *Ganga.Hills, Ganga_hills, Ganga cloth, Velside.clothing, Velside_clothing*** आदि नामों से फर्जी बिजनेस प्रोफाइल/आईडी बनाकर आकर्षक ऑनलाइन शॉपिंग विज्ञापन प्रसारित किए जाते थे। इच्छुक उपभोक्ता द्वारा विज्ञापन पर क्लिक करने पर उन्हें अभियुक्तों का व्हाट्सएप बिजनेस नंबर प्राप्त होता था, जिसके माध्यम से अभियुक्त ग्राहक से संपर्क स्थापित करते थे। तत्पश्चात ग्राहकों को प्रोडक्ट की फोटो/वीडियो भेजकर विश्वास में लिया जाता था तथा एडवांस भुगतान के लिए प्रेरित किया जाता था। भुगतान हेतु क्यूआर कोड भेजकर अग्रिम धनराशि प्राप्त कर ली जाती थी। भुगतान प्राप्त होने के बाद अभियुक्त या तो फर्जी/निम्न गुणवत्ता का पार्सल भेज देते थे अथवा कोई सामान प्रेषित नहीं करते थे। ठगी से अर्जित धनराशि प्रारंभ में अभियुक्तों के स्वयं के बैंक खातों में प्राप्त की जाती थी, परंतु संदिग्ध लेन-देन के कारण खातों के बंद होने पर अन्य खातों का उपयोग किया जाने लगा। इस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड को अंजाम देकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया जाता था।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम-

1. अवन राजभर पुत्र बाबूलाल राजभर, निवासी ऊंचागांव, थाना रानी की सराय, आजमगढ़, उम्र लगभग 22 वर्ष
2. प्रियांशू यादव पुत्र मिठाई लाल यादव, निवासी शिवरामपुर, थाना तहबरपुर,आजमगढ़, उम्र लगभग 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

अभियुक्तो के पास से बरामद खातो पर असम बंगाल,गुजरात उत्तर प्रदेश आदि विभिन्न राज्यो से कुल 27 NCRP कम्पलेन दर्ज है।

बरामदगी का विवरणः-

कार्यवाही में निम्न माल बरामद हुआ—

04 अदद मोबाइल फोन (Android)
550 रूपये नगद
13 अदद बैंक पासबुक
1 अदद चेकबुक
5 अदद एटीएम कार्ड
9 अदद सिम कार्ड
30 अदद डमी पार्सल पैकेट
पैकेजिंग पालिथिन

कार्यवाही में सम्मिलित पुलिस टीम-

म0नि0 विभा पाण्डेय, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।
उनि0 योगेन्द्र प्रसाद, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।
उ0नि0 रजत सिंह, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।
का0 विकास कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।
का0 संजय कुमार, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।
म0का0 प्रियंका गौड़, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।
का0 कुन्जबिहारी, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़।